परियोजना का नाम– जनपद अल्मोडा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य।
लम्बाई 3.00 कि0मी0

(5)

संलग्नक सं0–1.5

प्रारूप–11
प्रस्तावित कार्य हेतु वन भूमि के मॉग का पूर्ण औचित्य

इस मार्ग की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति शासनादेश सं0–**5988 / III(2) / 15–11 –(मु0मं0घो0) / 2015, दिनांक 18 अगस्त, 2015** के द्वारा 3.00 कि0मी0 की लम्बाई हेतु 297.84 लाख की स्वीकृति प्राप्त है। यह मोटर मार्ग पूर्व निर्मित एन0एच0 87 ई0 से प्रारम्भ होता है एवं बेस चिकित्सालय से विकास भवन तक मोटर मार्ग के कि0मी0 5.00 में समाप्त होता है। प्रस्तावित मोटर मार्ग की लम्बाई 3.00 कि0मी0 आती है। यह प्रस्तावित मोटर मार्ग सिविल बेनाप व नाप भूमि से होकर गुजरता है। उक्त के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर भी सर्वेक्षण किया गया, जिस स्थल से वन भूमि व वृक्षों का पातन कम से कम हो वह स्थल उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु प्रस्तावित किया गया है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से ग्राम नगर पालिका(हदूद बाहक), रैलापाली आदि ग्रामों के ग्रामवासी लाभान्वित होगे। प्रस्तावित मोटर मार्ग हेतु 0.925 है0 वन भूमि प्रस्तावित की गयी है जो न्यूनतम है। इस अतिरिक्त उक्त मोटर मार्ग हेतु कोई वैकल्पिक स्थान उपलब्ध नहीं है। इस मोटर मार्ग के बन जाने से स्थानीय लोग काफी लाभान्वित होंगे। अतः जनता की सुविधा, भूमि की उपलब्धता व तकनीकी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित मार्ग उपयुक्त है।

प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग,
अल्मोड़ा।

(दीपक कुमार पन्त)
उप वन क्षेत्राधिकारी,
अनुभाग अल्मोड़ा

वन क्षेत्राधिकारी

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

अमीन
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

उप प्रभागीय वनाधिकारी
अल्मोड़ा उप वन प्रभाग, अल्मोड़ा